रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2014/श्रावण 3, 1936
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2014/SHRAVANA 3, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2014

सं. ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बी.सी.सं. 98 /03.05.100/2013-14.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :

1) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम, केरल
2) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़
3) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेलारी, कर्नाटक

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन- III/4/असा./38/14]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2014

No. RPCD.CO RRB.BC.No. 98/03.05.100/2013-14.— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Bank, namely:

1) Kerala Gramin Bank, Malappuram, Kerala.
2) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur, Chhattisgarh.
3) Pragathi Krishna Gramin Bank, Bellary, Karnataka

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./38/14]

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2014

सं. ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं. 99 /03.05.100/2013-14.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :

1) साउथ मलबार ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम, केरल
2) नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक, कण्णूर, केरल
3) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर, छत्तीसगढ़
4) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़
5) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
6) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेलारी, कर्नाटक
7) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा, कर्नाटक

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन- III/4/असा./38/14]

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2014

No. RPCD.CO RRB.BC.No. 99/03.05.100/2013-14.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Banks, namely :

1) South Malabar Gramin Bank, Malappuram, Kerala
2) North Malabar Gramin Bank, Kannur, Kerala
3) Chhattisgarh Gramin Bank, Raipur, Chhattisgarh
4) Durg Rajnandgaon Gramin Bank, Rajnandgaon, Chhatisgarh
5) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur, Chhattisgarh
6) Pragathi Gramin Bank, Bellary, Karnataka
7) Krishna Grameena Bank, Gulbarga, Karnataka

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./38/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.